

28.4.25


समुदाय विकास समिति / पीठासीन अधिकारी अनम राजशर्मा के होने से प्रकरण दिनांक 30/4/25 को पेश हों।

आज्ञा से  
9  
रीडर

30.4.25

पत्रावली पेश हुई। उर्ध्व अधिकारिता उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण का मूल वाद 09 R 5, 6 में खाजि हो चुका है जिसे इस प्रकरण में कब कोई कार्यवाही होस नहीं रहती है।

अनुरोध: प्रथम श्रेणी नंबर पर आदेश 9 नियम 5, 6 के तहत अदम हाजरी, अदम पेयवी एवं अदम नामील में खाजि किया जाता है। निर्णय सेरेडजलाल सुनाया गया। प्रकरण फैलल शुगा (लेटर नंबर से कम हो।

  
(सोनिता कुंवर कुमारी)  
IAS